

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जुलाई 2022—आषाढ़ 13, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2022

क्रमांक एफ-2-23/2022-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 13 - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पद नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
13.7	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में आवश्यक सुधार किया जाना	संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	संबंधित सम्भाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	15-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

	(A) फर्म/दुकान/भण्डार स्थल का पता परिवर्तन किया जाना		30-कार्य दिवस		15-कार्य दिवस	
	(B) नवीन फार्म-ओ (Form-O) जोड़ना/ हटाना		30-कार्य दिवस		15-कार्य दिवस	
	(C) गुणवत्ता हेतु जबाबदेह व्यक्ति/ प्रोप्राईटर का नाम जोड़ना अथवा हटाना		30-कार्य दिवस		15-कार्य दिवस	
13.8	कीटनाशक विक्रय लायसेंस में आवश्यक सुधार किया जाना	संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	संबंधित सम्भाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	15-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
	(A) फर्म / दुकान /भण्डार स्थल का पता परिवर्तन किया जाना		30-कार्य दिवस		15-कार्य दिवस	
	(B) नवीन उत्पाद जोड़ना/हटाना		30-कार्य दिवस		15-कार्य दिवस	
	(C) पूर्व प्रस्तुत प्रिंसीपल सर्टिफिकेट में परिवर्तन अथवा नवीन प्रिंसीपल सर्टिफिकेट जोड़ना		30-कार्य दिवस		15-कार्य दिवस	
	(D) जारी लायसेंस में गुणवत्ता हेतु जबाबदेह व्यक्ति/प्रोप्राईटर का नाम जोड़ना अथवा हटाना		30-कार्य दिवस		15-कार्य दिवस	
13.9	रासायनिक उर्वरक विनिर्माण प्राधिकार-पत्र में आवश्यक सुधार किया जाना	संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	45-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
	(A) फर्म/विनिर्माण इकाई/ भण्डार स्थल का पता परिवर्तन किया जाना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
	(B) जारी विनिर्माण प्राधिकार पत्र में म.प्र. /अन्य राज्यों में अधिसूचित सूक्ष्म तत्व		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	

	उर्वरक उत्पाद जोड़ना/ नवीन ब्रान्ड नाम जोड़ना / ब्रान्ड नाम परिवर्तन करना					
	(C) जारी विनिर्माण प्राधिकार पत्र में गुणवत्ता हेतु जबावदेह व्यक्ति/आहताधारी व्यक्ति का नाम जोड़ना अथवा हटाना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
13.10	कीटनाशक विनिर्माण लायसेंस में आवश्यक सुधार किया जाना	संयुक्त संचालक (पौध संरक्षण) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	45-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
	(A) फर्म / विनिर्माण इकाई / भण्डार स्थल का पता परिवर्तन के संबंध में		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
	(B) जारी लायसेंस में नवीन उत्पाद जोड़ना अथवा हटाना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
	(C) जारी लायसेंस में विक्रेता कम्पनी का मार्केटिंग अनुबंध जोड़ना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
	(D) जारी लायसेंस में गुणवत्ता हेतु जबावदेह व्यक्ति/ केमिस्ट का नाम जोड़ना अथवा हटाना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
	(E) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हवा/ पानी के संबंध में जारी सहमति की वैधता बढ़ाया जाना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
13.11	कमर्शियल पेस्टकन्ट्रोल ऑपरेशन के स्टॉक एवं उपयोग की अनुज्ञप्ति जारी करना	संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	संबंधित सम्भाग के संयुक्त संचालक, किसान	15-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

				कल्याण तथा कृषि विकास		
13.12	प्रिंसीपल सर्टिफिकेट अभिप्रमाणन	राज्य अनुज्ञापन अधिकारी संयुक्त संचालक (पौध संरक्षण) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	45-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
13.13	राज्य थोक विक्रेता हेतु उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र जारी करना	संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक) एवं पदेन राज्य अधिसूचित प्राधिकारी, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल	45-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
13.14	राज्य थोक विक्रेता हेतु उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण करना	संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक) एवं पदेन राज्य अधिसूचित प्राधिकारी संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल	45-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
13.15	राज्य थोक विक्रेता हेतु उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में आवश्यक सुधार किया जाना	संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक) एवं पदेन राज्य अधिसूचित	45-कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30-कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

(A) संस्था/कंपनी के विनिर्माण इकाई/भण्डारण स्थल/कार्यालय का नाम पता जोड़ना/हटाना	प्राधिकारी संचालनाय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल	45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
(B) प्रदाय किये गये उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में मार्केटिंग अनुबंध/ ओ फार्म जोड़ना/ ब्राण्ड नाम जोड़ना एवं हटाना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	
(C) उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में उर्वरकों की गुणवत्ता के लिये जिम्मेदार व्यक्ति का नाम जोड़ना अथवा हटाना		45-कार्य दिवस		30-कार्य दिवस	

क्र.एफ-2-22-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-37 -मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं से संबंधित फिक्स्ड इन्सेन्टिव की नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी.की सेवाएं -

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पद नाम	सेवाएँ प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
37.7	निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति	प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी	45 कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत)	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश	30 कार्य दिवस	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.)

				प्रोत्साहन विभाग		
37.8	गुणवत्ता प्रमाणीकरण एवं जांच प्रयोगशाला को वित्तीय सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति	प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी	45 कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत)	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	30 कार्य दिवस	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.)
37.9	पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण हेतु किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति	प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी	45 कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत)	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	30 कार्य दिवस	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.)
37.10	एपरेल प्रशिक्षण संस्था की स्थापना हेतु सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति	प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी	45 कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत)	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	30 कार्य दिवस	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.)
37.11	परिधान क्षेत्र(गारमेंटिंग सेक्टर) को विशिष्ट वित्तीय सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति	प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी	45 कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत)	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	30 कार्य दिवस	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.)
37.12	लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/ पार्क को	प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी	45 कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं	30 कार्य दिवस	राज्य स्तरीय साधिकार समिति

	विशेष वित्तीय सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति		होने के उपरांत)	निवेश प्रोत्साहन विभाग		(एस.एल.ई.सी.)
37.13	कृषि/ उद्यानिकी/ डेयरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड चेन की स्थापना हेतु सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति	प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी	45 कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत)	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	30 कार्य दिवस	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.